दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

रामचरण आत्मज स्व. बोंदरलाल उज्जेनिया

निवासी वार्ड नं. 25 नेहरूगंज इटारसी

तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ..... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

श्रीमति शीला पत्नि महेश विश्वकर्मा

निवासी वार्ड नं. 24 बजरंगपुरा माता मंदिर के पीछे इटारसी

तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ..... उत्तर*वादी*

याचिका अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

पुनरीक्षणकर्ता निवेदन करता है –

पुनरीक्षणकर्ता ने यह याचिका माननीय अधीनस्थ नजूल अधिकारी इटारसी के राजस्व प्रकरण क्रं. 5/अ–6/14–15 मौजा नजूल शहर इटारसी में पारित आदेश दिनांक 30.01.2016 से क्षुब्ध एवं दुखी होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण –

1. यह कि उत्तरवादी/आवेदिका के एक आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 109–110 म.प्र.भू.रा. संहिता का शहर इटारसी स्थित नजूल शीट नं. 03 भूखण्ड क्रं. 12/2 रकबा 625 वर्गफुट में से 450 वर्गफुट का नामांतरण विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक 20.12.89 के आधार पर करने का प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदक पुनरीक्षणकर्ता ने अपना जबाब प्रस्तुत अभिवचन किया कि उसने आवेदिका / उत्तरवादी को भूखण्ड विक्रय नहीं किया हैं उत्तरवादी ने उसके स्वामितव एवं आधिपत्य की भूमि को हडपने 26 वर्ष पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे खारिज किया जाये साथ ही पुनरीक्षणकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का इस आधार का प्रस्तुत किया कि विक्रय पत्र 26 वर्ष पुराना हैं और

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 713 –पीबीआर/2016 (रामचरण/शीला) **जिला होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–04–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नजूल अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नजूल अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें विलम्ब का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । नजूल अधिकारी द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	